



## ब्रिटिश 'ऑनलाइन सुरक्षा वधियक एवं एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन

### प्रलिस के लयि:

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, सूचना प्रौद्योगिकी नयिम, 2021, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनयिम, 2000

### मेन्स के लयि:

ब्रिटिश 'ऑनलाइन सुरक्षा वधियक एवं एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन

## चरचा में क्यौं?

हाल ही में व्हाट्सएप के प्रमुख ने कहा कि व्हाट्सएप देश के प्रस्तावति ऑनलाइन सुरक्षा वधियक (OSB) का अनुपालन नहीं करेगा, जो प्रभावी रूप से [एंड-टू-एंड \(E2E\) एन्क्रिप्शन](#) को प्रतबिधति करेगा।

## ब्रिटिश ऑनलाइन सुरक्षा वधियक:

- OSB एक प्रस्तावति ब्रिटिश कानून है जो ऑनलाइन सुरक्षा में सुधार के लयि ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर "ड्यूटी ऑफ केयर" दायतित्वों को लागू करेगा।
- OSB का खंड 110 नयिमक को अधिकांश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी करने का अधिकार देता है, जसिमें नजिी मैसेजि एप भी शामिल हैं, ताकि [आतंकवाद और बाल यौन शोषण एवं दुरव्यवहार \(CSEA\)](#) सामग्री की पहचान की जा सके तथा उसे हटाया जा सके।
- OSB एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को हटाने का आदेश नहीं देता है कति ऐसी सामग्री को चहिनति करने के लयि मैसेजि एप को सभी संदेशों को स्कैन करने की आवश्यकता होगी, जसिका अर्थ है वास्तव में एन्क्रिप्शन को तोड़ना होगा।
  - OSB को नजिता और बोलने की आज़ादी के पैरोकारों द्वारा एक असंगत कदम के रूप में देखा जाता है जोपाबंदी एवं नगिरानी की अनुमतदित्ता है।

## क्या भारत में ऐसा कोई कानून है?

- [सूचना प्रौद्योगिकी \(मध्यवर्ती दशिा-नरिदेश और डजिटिल मीडिया आचार संहतिा\) नयिम, 2021](#) के माध्यम से भारत सरकार ने भारत में पाँच मलियिन से अधिक उपयोगकर्त्ताओं वाले मैसेजि प्लेटफॉर्मों के लयि संदेश के "पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करना" अनविर्य कर दया, जसि आमतौर पर ट्रेसेबलिति कहा जाता है।
- यह सभी एन्क्रिप्टेड सामग्री की स्कैनगि और उसे चहिनति करने के लयि नहीं है; यह सर्वप्रथम संदेश भेजने वाले वाले व्यक्तिके बारे में है जसिने कसिी संदेश को भेजा है और कई बार अग्रेषति कया है।
- व्हाट्सएप ने भारतीय बाज़ार छोड़ने की धमकी नहीं दी। इसके बजाय इसने पता लगाने की आवश्यकता को लेकर भारत सरकार पर मुकदमा दायर कया।
  - ऐसा इसलयि है क्यौंकि भारत में 487.5 मलियिन व्हाट्सएप उपयोगकर्त्ता हैं जहाँ प्लेटफॉर्म के 22% अर्थात् 2.24 बलियिन मासकि सकर्यि उपयोगकर्त्ता हैं। भारत में व्हाट्सएप की प्रवेश दर 97% से अधिक है, जबकि यूनाइटेड किंगडम में यह लगभग 75% है।

## एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन

- E2E एन्क्रिप्शन एक सुरक्षति संचार तंत्र है जो डेटा को प्रेषक के डविाइस पर एन्क्रिप्ट करने की अनुमतदित्ता है, यह इंटरनेट या कसिी संचार चैनल पर सुरक्षति रूप से प्रेषति होता है और फरि केवल इच्छति प्राप्तकर्त्ता द्वारा डकिरपिट कया जाता है।
- संदेश को केवल इच्छति प्राप्तकर्त्ता द्वारा एक वशिषिट डकिरपिशन कुंजी का उपयोग करके डकिरपिट कया जा सकता है जो केवल प्राप्तकर्त्ता के डविाइस द्वारा ही एक्सेस कया जा सकता है।
  - इसका अर्थ यह है कि कोई और व्यक्ति, यहाँ तक कि सेवा प्रदाता भी, प्रेषति कयि जा रहे संदेश या डेटा की सामग्री तक नहीं पहुँच सकता है।

- E2E एन्क्रिप्शन का उपयोग हैकर्स, सरकारों या सेवा प्रदाताओं द्वारा वभिन्न संचार प्लेटफॉर्मों, जैसे- मैसेजिंग एप, ईमेल सेवाओं और फाइल-साझाकरण सेवाओं में गोपनीयता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है।

## भारत में एन्क्रिप्शन के लिये अन्य वधायी ढाँचा:

- न्यूनतम एन्क्रिप्शन मानक:
  - भारत में कोई वशिष्ट एन्क्रिप्शन कानून नहीं है। हालाँकि कई औद्योगिक नयिम, जैसे कि बैंकिंग, वित्त और दूरसंचार उद्योगों को नियंत्रित करने वाले, लेन-देन की सुरक्षा में उपयोग किये जाने वाले न्यूनतम एन्क्रिप्शन मानकों की आवश्यकताओं को शामिल करते हैं।
- एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकियों को लेकर नबिध:
  - **ISP (इंटरनेट सेवा प्रदाता) और DoT (दूरसंचार वभिग) के बीच** लाइसेंसिंग समझौते के अनुसार, उपयोगकर्ता पूर्व सहमति के बिना सममति कुंजी एल्गोरिदम या इसी तरह के तरीकों का उपयोग करके 40 बटिस से बड़े एन्क्रिप्शन मानकों को नयोजित करने के लिये अधिकृत नहीं हैं।
  - ऐसे कई अतरिकित नयिम और अनुशासण हैं जो वशिष क्षेत्रों हेतु 40 बटिस से अधिक एन्क्रिप्शन स्तर का उपयोग करते हैं।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधनियिम, 2000:**
  - यह संचार के इलेक्ट्रॉनिक और वायरलेस मोड को नियंत्रित करता है तथा एन्क्रिप्शन पर कसिी भी ठोस प्रावधान या नीति से मुक्त है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से कसिके लिये साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रपिर्त करना कानूनी रूप से अनविर्य है? (2017)

1. सेवा प्रदाताओं
2. डेटा केंद्र
3. कॉर्पोरेट नकियाय

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- सूचना प्रौद्योगिकी अधनियिम, 2000 (IT Act) की धारा 70B के अनुसार, केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा घटना प्रतिक्रिया के लिये राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) नामक एक एजेंसी का गठन किया गया है।
- केंद्र सरकार ने आईटी अधनियिम, 2000 की धारा 70B के तहत वर्ष 2014 में CERT-In के लिये नयिम स्थापति और अधिसूचित किये। नयिम 12 (1) (A) के अनुसार, CERT-In को साइबर सुरक्षा के संदर्भ में घटना होने के उचित समय के भीतर सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों, डेटा केंद्रों एवं कॉर्पोरेट नकियायों द्वारा रपिर्त करना अनविर्य है। अतः 1, 2 और 3 सही हैं।

अतः विकल्प (d) सही है।

**स्रोत: द हद्रि**